न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर।

उपस्थितः अनुपम कुमार, एच.जे.एस.

सत्र परीक्षण सं0 **– 1045 सन् 2026**

उ0प्र0 राज्य **बनाम** शशिकान्त व 03 अन्य

मु0अ0सं0–**91** सन–**2024**
अन्तर्गत धारा–115(2), 352, 351(2), 324(1), 110 भारतीय न्याय संहिता
थाना–कछवां, जिला–मीरजापुर।

आरोप

मैं, अनुपम कुमार, सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर आप अभियुक्तगण **शशिकान्त, लक्ष्मीकान्त, सावित्री देवी** व **जीतनरायण** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ –

1. यह कि दिनांक 28.07.2024 को समय अदम तहरीर, बहदस्थान ग्राम कल्याणपुर क्षेत्रान्तर्गत थाना कछवां, जिला मीरजापुर में आप लोगों ने एक राय होकर वादी मुकदमा अनिल कुमार के भाई सुनील कुमार व उसके परिवारीजन को लाठी–डण्डा से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय न्याय संहिता की **धारा–115(2) सपठित धारा–3(5)** के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा के भाई सुनील कुमार व उसकी पत्नी को गाली–गुप्ता देकर अपमानित किया, जिससे ऐसे अपमानित व्यक्ति के प्रकोपित होने पर लोकशान्ति भंग होने की सम्भावना उत्पन्न हुई। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय न्याय संहिता की **धारा–352** के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा के भाई सुनील कुमार व उसके परिवारीजन को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय न्याय संहिता की **धारा–351(2)** के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा के मोबाईल एवं मोटर साइकिल को तोड़कर रिष्टि कारित किया। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय न्याय संहिता की **धारा–324(1)** के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों द्वारा साशय सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा अनिल कुमार व उसके परिवारीजन सुनील कुमार, सीता देवी, अंबिका पटेल, घनश्याम पटेल व राजेश पटेल को लाठी–डण्डे से मारा पीटा गया, जिससे अंबिका पटेल के सिर में गंभीर चोटें आयी। यदि इन चोटों से अंबिका पटेल की मृत्यु हो जाती तो आप लोग हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय न्याय संहिता की **धारा–110 सपठित धारा–3(5)** के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं निर्देशित करता हूँ कि उपरोक्त आरोपों के लिये आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक–04.06.2026

(अनुपम कुमार)
सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।
ID No.: UP1902

उपरोक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग किया।

दिनांक–04.06.2026

(अनुपम कुमार)
सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।
ID No.: UP1902

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर।

सत्र परीक्षण सं0 **– 1045 सन् 2026**

उ0प्र0 राज्य **बनाम** शशिकान्त व 03 अन्य

मु0अ0सं0–**91** सन–**2024**
अन्तर्गत धारा–115(2), 352, 351(2), 324(1), 110 भारतीय न्याय संहिता
थाना–कछवां, जिला–मीरजापुर।

04.06.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्तगण **शशिकान्त, लक्ष्मीकान्त, सावित्री देवी** व **जीतनरायण** व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित आये।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित आए।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध का वर्णन करते हुए बताया कि अपराध को सिद्ध करने के लिए कैलेन्डर/आरोप पत्र में वर्णित साक्षीगण को साक्ष्य में प्रस्तुत किया जाएगा, यदि आवश्यकता हुई तो अन्य साक्षीगण को भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की आरोप पर बहस सुनी। मेरी राय में पत्रावली पर प्रथम दृष्टया यह अवधारित करने हेतु पर्याप्त आधार है कि अभियुक्तगण शशिकान्त, लक्ष्मीकान्त, सावित्री देवी व जीतनरायण के विरूद्ध धारा–115(2) सपठित धारा–3(5), 352, 351(2), 324(1), 110 सपठित धारा–3(5) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जाये।

तद्नुसार अभियुक्तगण शशिकान्त, लक्ष्मीकान्त, सावित्री देवी व जीतनरायण के विरूद्ध धारा–115(2) सपठित धारा–3(5), 352, 351(2), 324(1), 110 सपठित धारा–3(5) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक को पेश हो। साक्षीगण तलब हों।

सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।

Digitally signed by ANUPAM KUMAR
Date: 2026.06.30 12:52:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court